

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 1979/फाल्गुन 24, 1900
No. 115] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1979/PHALGUNA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

रस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1979

का. आ. 135 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 18-3-1979 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला आदिलाबाद में

लक्ष्मिपेट तालुक के राजस्व ग्राम

गार्मिला और मनचैस्थल की

सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र जिसके—

उत्तर में : अमरावड़ी ग्राम

दक्षिण में : गोदावरी नदी

पूर्व में : नासपुर ग्राम

पश्चिम में : वेंमपाल्ली ग्राम हैं।”

[संख्या एस-38013/11/76-एच. आई.]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1979

S.O. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 18-3-1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

“The areas within the revenue villages of
Garmilla and Mancherla in
Luxetipet Taluk in
Adilabad District and
bounded by :—
North : Amaravadi Village.
South : River Godavari.
East : Naspur village.
West : Vempalli village.”

HANS RAJ CHHABRA Dy. Secy.

[No. S-38013/11/76-HII]